प्रकरण संख्या–53/2016 तारीख रजु–04.07.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. पाली, पंचायत समिति–हिण्डौन, जिला करौली, राज. जरिये व्यवस्थापक — अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, करौली, जिला करौली, राज. — रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी दिनांक 30.09.2015 उनवानी सरकार बनाम ग्राम सेवा सहकारी समिति पाली, तहसील हिण्डौन मुकदमा नं. 170/2015 अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955।

निर्णय

दिनांक–19.09.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय जिला रसद अधिकारी, करौली खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल है और लायक मंसूख है। अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर न देकर निर्णय करने में भूल की है। अदालत मातहत ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव पर गौर न कर निर्णय करने में भूल की है। उक्त प्रकरण से संबंधित श्री हरविन्द शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/15 पुलिस थाना हिण्डौन सिटी में अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कराई थी जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस थाना हिण्डौन सिटी ने एफ.आर. नं. 2/15 न्यायालय ए.सी. जे.एम. हिण्डौनसिटी में दिनांक 04.03.2016 को प्रस्तुत की थी जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2016 को स्वीकार करली है। अपीलाण्ट का रिकॉर्ड दिनांक 30.09.2015 को ऑडिट के लिए सी.ए. पास गया हुआ था। सी.ए. से रिकॉर्ड प्राप्त होते ही जिला रसद अधिकारी को जबाव के साथ रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया था। किसी भी स्वतंत्र गवाहान एवं ग्रामीणजन पाली ने वितरण संबंधी कोई भी मौखिक लिखित शिकायत नहीं की ना ही वितरण में कोई अनियमितता थी। पुलिस ने वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई, रसद विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा फर्द मौका के स्वतंत्र गवाहान के राशन वितरण में अनियमितता बाबत् कोई बयान नहीं लिये, फिर भी अदालत मातहत ने अपीलाण्ट के विरुद्ध निर्णय करने में भूल की है। किसानों को ओला वृष्टि के मुआवजे की राशि के वितरण करने के कारण दुकान बंद थी तथा दुकान के बाहर मूल्य सूची एवं स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन कर रखा था। ग्राम सेवा सहकारी समिति पाली के तत्कालीन व्यवस्थापरक श्री राजवीरसिंह का दिनांक 20.11.2015 को देहान्त हो गया था। आदेश दिनांक 25.01.2016 के तहत दिलीपसिंह सहायक व्यवस्थापक को उक्त समिति का व्यवस्थापक नियुक्त किया गया था। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 21.06.16 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली में पूछताछ करने पर हुई है तब अपीलाण्ट ने दिनांक 21.06.16

जिला कलेक्टर
करौली

को नकल निर्णय के लिए आवेदन किया जिसकी नकल निर्णय दिनांक 29.06.16 को मिलने पर अपील जानकारी के आधार पर अंदर मियाद प्रस्तुत की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 30.09.2015 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन है कि निर्णय दिनांक 30.09.2015 जिला रसद अधिकारी करौली अपीलाण्ट को बिना सुने एवं पर्याप्त अवसर दिये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव पर कोई गौर व विवेचन नहीं कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। प्रकरण से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 244/15 पुलिस थाना हिण्डौन सिटी धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम जो प्रवर्तन निरीक्षक हरविन्द शर्मा द्वारा दर्ज करायी थी, गलत दर्ज करायी थी। उसमें पुलिस थाना हिण्डौन ने बाद जांच एफ.आर. नं. 2/15 न्यायालय ए.सी.जे.एम. हिण्डौनसिटी में दिनांक 04.03.2016 को प्रस्तुत होकर स्वीकार हो चुकी है। अपीलाण्ट का रिकॉर्ड दिनांक 30.09.2015 को ऑडिट के लिए सी.ए. के पास गया हुआ था। सी.ए. से रिकॉर्ड प्राप्त होते ही अपीलाण्ट द्वारा जबाव के साथ अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया था। किसी भी स्वतंत्र गवाह व ग्रामीणजन पाली द्वारा अपीलाण्ट समिति के वितरण संबंध में कोई मौखिक या लिखित शिकायत अनियमितता के बारे में नहीं की गई है और रसद विभाग द्वारा फर्द मौका में स्वतंत्र गवाह के राशन वितरण में अनियमितता बाबत् बयान नहीं लिये हैं। दिनांक 22.07.2015 को अपीलाण्ट दुकान किसानों को ओलावृष्टि के मुआवजे के वितरण के कारण बंद थी। दुकान के बाहर मूल्यसूची एवं स्टॉक वितरण का प्रदर्शन कर रखा था। समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक राजवीरसिंह का दिनांक 20.11.2015 को देहान्त हो गया। दिनांक 25.01.2016 को दिलीप सिंह सहायक व्यवस्थापक को समिति का व्यवस्थापक नियुक्त किया गया। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 21.06.2016 को होने पर दिनांक 29.06.16 को नकल मिलने पर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

पैरोकार सरकार जिला रसद अधिकारी करौली का बहस में कथन है कि दिनांक 22.07.15 को समिति दुकान की जांच की थी। उस दिन उपभोक्ता पखवाड़ा था। दुकान बंद थी। उपभोक्ताओं ने डीलर समिति द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं करना बताया एवं दौराने जांच समिति द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। स्टॉक सूची व मूल्य का दुकान पर प्रदर्शन समिति द्वारा नहीं कर रखा था। अनियमितता साबित होने के उपरांत ही निर्णय दिनांक 30.09.2015 पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व जांच रिपोर्ट दिनांक 22.07.2015 का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट समर्थन में किसी भी उपभोक्ता का राशन कार्ड व बयान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा नहीं लिये

जिला कलेक्टर
करौली

गये हैं एवं निर्णय दिनांक 30.09.2015 पारित करने से पूर्व समिति व्यवस्थापक के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड नहीं किये हैं और समिति द्वारा प्रस्तुत जबाव व रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के उपरांत कोई नोटिस समिति व्यवस्थापक को नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट द्वारा निर्णय दिनांक 30.09.2015 की दिनांक 21.06.2016 को जानकारी प्राप्त होने पर अपील जानकारी दिवस से अंदर मियाद प्रस्तुत की है जिसके समर्थन में व्यवस्थापक ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। निर्णय दिनांक 30.09.2015 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट समिति को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है एवं फौजदारी प्रकरण में दिनांक 04.03.2016 को अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. हिण्डौनसिटी से स्वीकृत हो चुकी है। इन समस्त परिस्थितियों से अपील अपीलाण्ट रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2015 अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलाण्ट समिति को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली